श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतवासियों के लिए बहुउद्देशीय पहचान पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार ने यूनीक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है। इस विशेष पहचान पत्र के उद्देश्य को निर्धारित करते हुए माना गया है कि इसके द्वारा समाज में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय से वंचित लोगों को समाज कल्याण की विविध शासकीय योजनाओं का लाभ होगा, अर्थात् यह पहचान पत्र सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को समाज कल्याण की विविध शासकीय योजनाओं के लिए सर्व समावेशी कैटेलिस्ट की भूमिका का निर्वहन करेगा।

महोदया, इसके ऊपर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन जहां इतना धन खर्च होगा और इस योजना को इस देश के करोड़ों लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है, वहां इस कार्ड योजना में ऐसे बहुत से बिन्दु हैं, जो अस्पष्ट हैं और जिनकी जानकारी इस अथॉरिटी के चेयरमैन भी पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं। मैं इन अस्पष्ट बिन्दुओं को आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगा कि ये विशिष्ट पहचान पत्र क्या केवल भारत के वैध नागरिकों को दिए जाएंगे अथवा उन करोड़ों लोगों को भी जो घुसपैठ कर के हिन्दुस्तान में रह रहे हैं? मैं इसकी जानकारी चाहूंगा।

मैं इसकी जानकारी भी लेना चाहूंगा और इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियों के बारे में चाहूंगा कि सरकार सदन को संतुष्ट करे, क्योंकि प्राधिकरण के अध्यक्ष इस सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। नागरिकता पर उठाये गये प्रश्नों पर दिये गये स्पष्टीकरण तथा प्राधिकरण की स्थापना के घोषित उद्देश्य परस्पर विरोधी हैं। सरकार द्वारा चलाये जाने वाली सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं क्या केवल वैध भारतीय नागरिकों के लिए हैं? यदि ये कार्ड इन योजनाओं को गतिशील बनाने में...(व्यवधान) मैं बस दो मिनट लूंगा।

जब डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे और करोड़ों लोगों को इसका लाभ होगा...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आज इस विषय पर एक लैक्चर भी है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं केवल सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इस विशेष पहचान पत्र को जारी करने से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस में इसकी सूची दी जाये, क्योंकि ऐसा न करने से भारत में रहने वाले तीन करोड़ से ज्यादा जो बंगलादेशी हैं, उनको भी कहीं इसका लाभ न मिले, इसलिए मैं सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं।

उड़ीसा जैसे संवेदनशील राज्य के 6 ऐसे तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर इसको लागू करने की बात कही गई है। वहां पर बहुत से घुसपैठिये लोग भी रहते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि इस कार्ड को देने से पहले उनकी शिनाख्त की जाये, जांच की जाये, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके।

सभापति महोदया : आपकी भावना समझ में आ गई।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं इतना ही कहना चाहता हूं।